न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

पीठासीन अधिकारी : नरेश बुनकर, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 12/2023 FSSA

1. सरकार जरिये डॉ0 मदनलाल गूजर खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा । — आवेदक—

बनाम

1. श्री सागर खण्डेलवाल पुत्र श्री राजेश कुमार गुप्ता मैनेजर मैसर्स एस.कुमार एण्ड कम्पनी बी—9 ए.वी.एम. स्कूल के पीछे जयपुर रोड दौसा (राज0) निवासी —सी—20, निधिवन कॉलोनी नई मण्डी रोड दौसा राज0

— अभियुक्त—

जुर्म अन्तर्गत एफएसएस धारा 26 की उप धारा 2(II) एवं दंडनीय धारा 52 व 58

उपस्थिति : खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।
: अप्रार्थी अभियुक्त स्वयं उपस्थित।

—: आदेश :— दिनांकः— 26.02.2024

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि आवेदक डॉ मदन लाल गूजर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 10.12.2022 समय 11.31 AM पर मैसर्स एस. कुमार एण्ड कम्पनी बी—9 ए.वी.एम. स्कूल के पीछे जयपुर रोड दौसा पर पहुँचा। वहां पर श्री सागर खण्डेलवाल पुत्र श्री राजेश कुमार गुप्ता मिला। जिसको अपना परिचय देकर परिचय पूछने पर विक्रेता ने स्वयं को मैसर्स एस. कुमार एण्ड कम्पनी का प्रबन्धक होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा आवेदन दिखाया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा विक्रेता की उपस्थिति में मैसर्स एस. कुमार एण्ड कम्पनी बी—9 ए.वी.एम. स्कूल के पीछे जयपुर रोड दौसा का निरीक्षण करने पर पाया कि हल्दी पाउडर गगन मसाले ब्रान्ड (**Turmeric Powder Gagan Spices Brand**) प्लास्टिक के 30—30 किलोग्राम के 20 कट्टों में पोलीपैक आम जनता को विक्रय करने हेतु रखा हुआ था। जिसका खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा होने पर विक्रेता को फार्म 5 ए की सूचना देते हुये विक्रेता व गवाहान के फॉर्म 5 ए पर हस्ताक्षर करवाते हुये खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये तथा फार्म 5 ए की एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को यह बताया कि यह खाद्य पदार्थ हल्दी पाउडर गगन मसाले ब्रान्ड (**Turmeric Powder Gagan Spices Brand**) को वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने 20 कट्टे में से 500—500 ग्राम हल्दी पाउडर गगन मसाले ब्रान्ड (**Turmeric Powder Gagan Spices Brand**) के 4 नग साफ प्रिन्टेड वास्ते मानक स्तर की जॉच करवाने हेतु खरीदा। जिसकी कीमत विक्रेता को उनके मांगे अनुसार बाजार भाव से 282 रूपये (अक्षरे दो सौ बयासी रूपये) नगद देकर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता व गवाहान के नियमानुसार हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा 500—500 ग्राम 2 कि.ग्रा. हल्दी पाउडर गगन मसाले ब्रान्ड (**Turmeric Powder Gagan Spices Brand**) को बराबर—बराबर (एक भाग 500 ग्राम) को अलग अलग चार साफ व सूखे प्लास्टिक के डिब्बे इलेक्ट्रोनिक मापक मशीन से तुलवाकर चार साफ व सूखे पॉलीथीन प्लास्टिक के डिब्बों में [illegible]कर [illegible]कन लगाकर एयरटाईट बन्द किया तथा प्रत्येक डिब्बे को खाकी कागज में लपेटकर नियमानुसार [illegible] नमूना भाग तैयार किये एवं चारो नमूना भागों के लिये चार लेबल नियमानुसार तैयार कर लेबल पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिये गये खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं [illegible]मांक **AG-3125** को नियमानुसार चारों नमूना भाग पर नीचे से उपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2024.02.28 16:57:33 IST
Reason: SelfAttested

चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार करवाकर चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे विक्रेता ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं. 6 की छः प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर पुनः सील चपडी कर नियमानुसार तैयार किया। दो फार्म संख्या 6 की प्रतियां अलग से एक लिफाफे मे बन्द कर चपडी से सील मोहर कर नियमानुसार तैयार किये तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा को नमूने का एक तैयारशुदा भाग व बन्द लिफाफा जमा करवाया शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के डी.ओ. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा को जमा करवाया। डी.ओ. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा ने श्री महादेव प्रसाद सैनी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कायार्लय CM&HO दौसा को भेजकर दिनांक 12.12.2022 को खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला अलवर में तैयार शुदा नमूना व सम्बन्धित दस्तावेज जमा करवाये। नमूने के शेष दो भाग व चौथा भाग डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा को दिनांक 12.12.2022 को जमा करवाये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को खाद्य विश्लेषक अलवर से उक्त खाद्य पदार्थ हल्दी पाउडर गगन मसाले ब्रान्ड (**Turmeric Powder Gagan Spices Brand**) की जॉच रिपोर्ट संख्या एल. एस./904/एक्ट/2022/904 दिनांक 23.12.2022 प्राप्त होने पर ज्ञात हुआ कि विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जॉच करवाने हेतु क्रय किया गया खाद्य पदार्थ हल्दी पाउडर गगन मसाले ब्रान्ड (**Turmeric Powder Gagan Spices Brand**) मिथ्याछाप **(Mis Branded)** स्तर का पाया गया है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर न्याय निर्णय आवेदन पत्र खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्त की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अधिवक्ता अप्रार्थी अभियुक्त की बहस सुनी गई।

बहस के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निवेदन किया कि खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एल. एस./904/एक्ट/2022/904 दिनांक 23.12.2022 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ खाद्य पदार्थ हल्दी पाउडर गगन मसाले ब्रान्ड (**Turmeric Powder Gagan Spices Brand**) के नमूने के लेबल पर **Batch Lot no., M.R.P. Rs., Date of Packing** की जानकारी **(Not Legible)** पढने योग्य नहीं होने के कारण **Regulation no. 4(7) of FS&S (Labelling &Display) Regulation 2020** का उल्लंघन होने से एफएसएसए 2006 की धारा **3(1)(zf)(c)(i)** के अन्तर्गत मिथ्याछाप **(Mis Branded)** स्तर का पाया गया है। अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा खाद्य पदार्थ हल्दी पाउडर गगन मसाले ब्रान्ड (**Turmeric Powder Gagan Spices Brand**) का विक्रय कर मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(**II**)(**V**) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 व 58 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थी अभियुक्त को अधिक से अधिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जावे।

अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा निवेदन किया गया है कि प्रार्थी द्वारा विक्रय किये गये खाद्य पदार्थ हल्दी पाउडर गगन मसाले ब्रान्ड (**Turmeric Powder Gagan Spices Brand**) के नमूने की जांच में कोई मिलावट नहीं पाई गई है। उक्त नमूने की जांच रिपोर्ट के अनुसार नमूने के लेबल पर **Batch Lot no., M.R.P. Rs., Date of Packing** की जानकारी अंकित नहीं होने से उक्त नमूना मिथ्याछाप की श्रेणी में आया है। उक्त खाद्य पदार्थ के लेबल पर समस्त जानकारी अंकित की हुई है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी लेबल पर अंकित उक्त जानकारी सैम्पल लेते नोट की थी, फिर भी प्रार्थी द्वारा इसमें नियमानुसार बदलाव कर दिया जायेगा एवं भविष्य में इस प्रकार की गलती नहीं की जायेगी। प्रार्थी अभियुक्त द्वारा कम से कम जुर्माना लगाया जाकर प्रकरण को ड्रोप फरमाये जाने का अनुरोध किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2024.02.28 16:57:33 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्र. सं. : 12/2023 FSSA

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली एवं खाद्य विश्लेषक अलवर से प्राप्त जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एल. एस./904/एक्ट/2022/904 दिनांक 23.12.2022 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ हल्दी पाउडर गगन मसाले ब्रान्ड (**Turmeric Powder Gagan Spices Brand**) के नमूने के लेबल पर **Batch Lot no., M.R.P. Rs., Date of Packing (Not Legible)** पढने योग्य नहीं होने से **Regulation no. 4(7) of FS&S (Labelling & Display) Regulation 2020** का उल्लंघन होने से एफएसएसएए 2006 की धारा **3(1)(zf)(c)(i)** के अन्तर्गत मिथ्याछाप **(Mis Branded)** स्तर का पाया गया है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा मिथ्याछाप **(Mis Branded)** स्तर के खाद्य पदार्थ हल्दी पाउडर गगन मसाले ब्रान्ड (**Turmeric Powder Gagan Spices Brand**) का विक्रय किये जाने पर अपराध कारित होने से अप्रार्थी अभियुक्त श्री सागर खण्डेलवाल पुत्र श्री राजेश कुमार गुप्ता मैनेजर मैसर्स एस.कुमार एण्ड कम्पनी बी–9 ए.वी.एम. स्कूल के पीछे जयपुर रोड दौसा (राज0) निवासी सी–20, निधिवन कॉलोनी नई मण्डी रोड दौसा पर 15000/– (अक्षरे पन्द्रह हजार रूपये) की शोस्ति आरोपित की जाती है। अप्रार्थी अभियुक्त उक्त राशि निर्णय दिनांक 26.02.2024 के एक माह के अन्दर–अन्दर खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत निर्धारित **(Chief Medical & Health Officer Dausa)** के मद 0210–04–800–03–00 में जमा कराकर चालान की प्रति न्यायालय में प्रस्तुत करे ।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 26.02.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(नरेश बुनकर)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

क्रमांक/FSSA/ दिनांकः– 26.02.2024

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राज0 जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।
3. श्री सागर खण्डेलवाल पुत्र श्री राजेश कुमार गुप्ता मैनेजर मैसर्स एस.कुमार एण्ड कम्पनी बी–9 ए.वी.एम. स्कूल के पीछे जयपुर रोड दौसा (राज0) निवासी –सी–20, निधिवन कॉलोनी नई मण्डी रोड दौसा राज0।

(नरेश बुनकर)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2024.02.28 16:57:33 IST
Reason: SelfAttested